झारखंड सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या :– 5851(S) /राँची, दिनांक 18/09/08

पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या ला0नि0–6–3–2/2000(अंश) 3878 (S) दिनांक 21.08.2002 को अवक्रमित करते हुए झारखंड राज्यपाल सम्यक रूप से विचार करने के उपरांत पथ निर्माण विभाग हेतु झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 प्रतिपादित करते हैं।

1. (i) यह झारखंड पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 कहलायेगी।

(ii) यह नियमावली राजकीय गजट में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

(iii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।

2. संवेदकों को पथ निर्माण विभाग के समस्त कार्यों के निर्माणार्थ निम्नलिखित श्रेणी में निबंधित किया जायेगा :–

श्रेणी 1 : 2.50 करोड़ रूपये से ऊपर के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 2 : 50 लाख रूपये से अधिक तथा 2.50 करोड़ रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 3 : 10 लाख रूपये से अधिक तथा 50 लाख रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

श्रेणी 4 : 10 लाख रूपये तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिए सक्षम।

3. उपर्युक्त श्रेणियों के लिए अप्रत्यर्पणीय निबंधन शुल्क निम्न प्रकार होगा :–

श्रेणी 1 : 2.00 लाख रूपये

श्रेणी 2 : 1.00 लाख रूपये

श्रेणी 3 : 25 हजार रूपये

श्रेणी 4 : 10 हजार रूपये

4.1 निबंधन 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा । प्रत्येक श्रेणी के लिए कोई भी संवेदक उक्त श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमाकर निबंधित हो सकते हैं । प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक संवेदक को ग्यारह अंको का पृथक निबंधन कोड आवंटित किया जाएगा, जिसके आवंटन की निम्नांकित प्रक्रिया होगी :

(i) कोष्ठक | 1 | 2 | 3 | 4 | संवेदक संख्या

(ii) कोष्ठक | 5 | निबंधन श्रेणी

(iii) कोष्ठक | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | आवेदन की तिथि (dd mm yy)

4.2 अभियंता प्रमुख–सह विशेष सचिव अथवा ऐसे पदाधिकारी, जो पथ निर्माण विभाग, झारखंड के द्वारा प्राधिकृत किये गये हों, निबंधन पदाधिकारी होंगे।

4.3 उपरोक्त चारों श्रेणियों के निबंधित संवेदक सम्पूर्ण झारखंड में कहीं भी निविदा डालने के लिए सक्षम होंगे। किसी श्रेणी में निबंधित संवेदक उक्त श्रेणी हेतु नियम 2 में वर्णित राशि के अन्तर्गत ही निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम होंगे ।

4.3.1 निविदा आमंत्रण सूचना में वर्णित राशि को नियम 2 में अंकित संबद्ध श्रेणी के अन्तर्गत समझा जाएगा ।

4.4 निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार लंबित निबंधन/नवीकरण के मामलों पर विचार किया जाएगा।

4.5 प्रत्येक श्रेणी के लिए निबंधित संवेदक की वरीयता का निर्धारण उनके द्वारा विभाग में समर्पित आवेदन की तिथि से अनुमान्य होगा।

4.6 नियम 2 के श्रेणी 4 में निबंधन हेतु अनियोजित अभियंताओं को निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत मात्र ही देना होगा।

5.1 निबंधन के लिए निम्नलिखित कागजात संवेदक को जमा करने होंगे : –

5.1.1 प्रपत्र 'क' में आवेदन पत्र

5.1.2 PAN रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छाया प्रति

5.1.3 आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य(Address Proof)

5.1.4 निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक "कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल," (निबंधन पदाधिकारी के मुख्यालय का प्रमंडल) के पक्ष में देय तथा (निबंधन पदाधिकारी के मुख्यालय) में भुगतेय होगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता इसे कोषागार में विहित राजस्व शीर्ष में जमा करेंगे।

5.1.5 यदि पार्टनरशिप या लोक सीमित कंपनी या संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम हो तो उसका निबंधन प्रमाण पत्र, अंशधारियों के नाम तथा पार्टनरशिप डीड/कम्पनी बाई लॉज की प्रति।

5.1.6 इस आशय का शपथ पत्र कि आवेदक व्यक्ति अथवा उनपर आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य/आवेदक फर्म को इस नियमावली के नियम 10 एवं 11 में वर्णित किसी भी कदाचार में संलिप्तता के लिए कभी दंडित अथवा प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

5.2 निबंधन के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन ऑन–लाईन (on line) कागजात भी समर्पित किए जा सकेंगे :

5.2.1 समर्पित कागजात डिजीटल–हस्ताक्षर (Digital Signature) युक्त हों।

5.2.2 निर्धारित शुल्क का ई–भुगतान (E-Payment) सुनिश्चित किया जाए।

5.2.3 यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना निर्गत करने की तिथि से प्रभावी होगा।

6.1 सरकारी सेवा से हटाये गये व्यक्ति, संवेदकों की स्वीकृत सूची से हटाये गये व्यक्ति, निलंबित सरकारी सेवक, न्यायालय से दोषी पाये गये व्यक्ति एवं किसी भी विभाग द्वारा असैनिक कार्यों हेतु प्रतिबंधित/काली सूची में अंकित व्यक्ति/फर्म के आवेदक होने की स्थिति में ऐसे आवेदक का निबंधन/नवीकरण नहीं किया जायेगा।

6.1.1 विभाग द्वारा काली सूची में अंकित संवेदक या साझेदार यदि किसी अन्य संस्थानों या संवेदकों से जुड़कर एवं गलत जानकारी देकर फिर से निबंधन कराते हैं तो उक्त त्रुटिपूर्ण निबंधन खारिज करते हुए उनके तथा संबंधित संस्थानों के Board of Directors of Governors अथवा Partners के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

6.2 ऐसे संवेदक किसी अंचल में निविदा समर्पित करने के हकदार नही होंगें, जिसमें उनके नजदीकी संबंधी (पति/पत्नी/माता/पिता/सहोदर भाई अथवा सहोदर बहन) प्रमंडलीय लेखापाल या कनीय अभियंता से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

6.3 प्रत्येक निबंधित संवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/पावर ऑफ अटार्नी (Power of Attorney) को फोटोयुक्त पहचान–पत्र निर्गत किया जाएगा, जिसमें निम्नांकित विवरणी रहेगी :

क. फर्म/संवेदक का नाम एवं पता

ख. आवंटित निबंधन कोड

ग. निबंधन की श्रेणी

घ. निबंधन की वैध अवधि

6.4 **कार्यादेश पंजी**

निबंधन प्राधिकारी के द्वारा प्रत्येक निबंधित संवेदक को कार्यादेश पंजी (परिशिष्ट–ग) निर्गत की जाएगी, जिसमें संबंधित प्रत्येक कार्यपालक अभियंता के द्वारा एकरारनामा हस्ताक्षरित करने एवं अन्य समय पर आवश्यकतानुसार उक्त संवेदक को आवंटित कार्य के संबंध में प्रविष्टि की जाएगी ।

6.5 संवेदकों के साथ बैठक

संवेदकों की समस्याओं एवं कठिनाईयों के निराकरण हेतु प्रमंडलीय स्तर पर त्रैमासिक एवं अंचल स्तर पर अर्द्ध वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएँगी । इन बैठकों में इच्छुक संवेदक अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया जा सकेगा । यदि संवेदकों द्वारा माँग की जाती है तो मुख्य अभियंता के स्तर पर भी ऐसी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं ।

7. नवीकरण

7.1 पाँच वर्ष की अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 में वर्णित शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन अवधि समाप्त होने की तिथि से तीन माह पूर्व की अवधि के दौरान दिया जा सकेगा।

7.2 यदि नवीकरण हेतु विधिवत् समर्पित आवेदन पत्र पर अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्णय नही लिया जा पाता है तो ऐसा निबंधन उक्त आवेदन पत्र पर नवीकरण निर्णय लिए जाने तक स्वतः नवीकृत समझा जाएगा।

7.3 निबंधन अवधि की समाप्ति के पश्चात् मात्र अगले तीन माह की अवधि तक के लिए कंडिका 3 में वर्णित शुल्क की डेढ़ गुणा राशि जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् नवीकरण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड के विभिन्न श्रेणियों में वर्तमान निबंधित संवेदकों को संशोधित निबंधन नियमावली के निर्गत होने की तिथि से छः माह के अन्दर अपने निबंधनों का नवीकरण कराना होगा, जिसके लिए उन्हें नवीकरण का निबंधन शुल्क जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनके निबंधनों की विधि मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे संशोधित नियमावली में अपेक्षित कागजातों को जमा करें और संशोधित नियमावली की समस्त शर्तों को पूरा करें।

जिन संवेदकों/आवेदकों के पुराने निबंधन नियमावली के अन्तर्गत निबंधन/नवीकरण हेतु आवेदन लंबित हैं, उनके द्वारा संशोधित नियमावली की इच्छित श्रेणी में निबंधन/नवीकरण हेतु ऐसी श्रेणी की राशि तथा पूर्व में जमा की गई चालान की राशि का अंतर जमा करना होगा। ऐसे नये आवेदकों के द्वारा पूर्व में समर्पित आवेदन की तिथि वरीयता निर्धारण हेतु अनुमान्य होगी।

9. आवेदन पत्र

इच्छुक संवेदकगण परिशिष्ट–'क' में उल्लिखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। विभाग द्वारा परिशिष्ट–'ख' में उल्लिखित निबंधन प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

10. काली सूची

10.1 व्यक्तिगत रूप से संवेदक या निबन्धित फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपर्युक्त किसी श्रेणी में निबंधित हो, को निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण संवेदकों की काली सूची में डाला जा सकेगा :

10.1.1 निविदा कागजातों की प्राप्तियां, निविदा कागजातों का प्रस्तुतिकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय सरकारी कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए।

10.1.2 संबंद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिये।

10.1.3 संवेदक द्वारा सरकारी सामान जैसे सीमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए या दुरूपयोग करते पाये जाने पर।

10.1.4 किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।

10.1.5 इस नियमावली के अंतर्गत निबंधन हेतु गलत कागजात समर्पित करने पर।

10.1.6 भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के किसी भी विभाग/उपक्रम द्वारा प्रतिबंधित किए जाने अथवा काली सूची में दर्ज किए जाने पर ।

10.1.7 इस नियमावली के नियम 6.2 का उल्लंघन करने की दशा में।

10.1.8 एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक।

10.1.9 संवेदक द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे संवेदक अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपने पर (सबलेटिंग)।

10.1.10 निलंबित संवेदक के आचरण में किसी सुधार का परिलक्षित नहीं होना।

10.1.11 निविदा प्रक्रिया को दूषित करना या करने का प्रयास करना।

10.1.12 रिश्वत, भ्रष्टाचार या कपट जैसे अनाचार करना।

10.1.13 ऐसा कोई भी कार्य, जो कार्य विभाग के उद्देश्यों की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न करे।

10.2 काली सूची में दर्ज संवेदक को सरकार के किसी भी विभाग/उपक्रम में कार्य करने से भविष्य में सदैव के लिए वंचित समझा जाएगा तथा उसका निबंधन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा।

10.3 यदि किसी निबंधित संवेदक को किसी भी एक श्रेणी में नियम 10.1 के आलोक में काली सूची में दर्ज किया जाता है तो उक्त संवेदक के अन्य सभी श्रेणियों के निबंधन, यदि कोई हो, को भी तत्काल प्रभाव से रद्द समझा जाएगा।

10.4 काली सूची में दर्ज संवेदक द्वारा पथ निर्माण विभाग, झारखंड में कराए जा रहे सभी कार्यों को नियम 10.1 के आलोक में निर्गत आदेश की तिथि से बंद करते हुए समस्त कार्यों की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी एवं अवशेष कार्यों को सम्पन्न कराने हेतु आवश्यकता अनुसार यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

10.5 किसी विशिष्ट श्रेणी के संवेदक को काली सूची में दर्ज करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

10.6 काली सूची में डालने का आदेश संबंधित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

10.7 दिये गये दण्ड के विरूद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर, विभागीय सचिव के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

11. निलंबन

11.1 व्यक्तिगत रूप से संवेदक या निबन्धित फर्म के किसी साझेदार या निजी लोक सीमित कम्पनी के किसी निदेशक या उनके तकनीकी कर्मचारी या उनके किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपर्युक्त किसी श्रेणी में निबंधित हो, को निम्नलिखित में से किसी कदाचार के कारण निलंबित किया जा सकेगा :

11.1.1 संबद्ध विभाग के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार।

11.1.2 संवेदक द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।

11.1.3 कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना एवं कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर।

11.1.4 बिना ठोस कारण के निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर।

11.1.5 प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन निविदाओं में भाग नहीं लेना तथा निबंधित श्रेणी (1), (2) एवं (3) में वर्णित न्यूनतम राशि की कम से कम पाँच गुणा राशि की प्राक्कलित राशि की निविदाओं में अनिवार्य रूप से भाग नहीं लेना।

11.1.6 श्रम एवं नियोजन संबंधी नियमों एवं विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने पर।

11.2 किसी विशिष्ट श्रेणी के संवेदक को निलंबित करने के पूर्व कारण बताओ नोटिस दिया जाना आवश्यक होगा।

11.3 निलंबन का आदेश संबंधित कोटि के निबंधन पदाधिकारी अथवा जिस पदाधिकारी के अधीन/पर्यवेक्षण में निबंधन पदाधिकारी कार्यरत हों, के द्वारा पारित किया जा सकेगा।

11.4 दिये गये दण्ड के विरूद्ध, संवेदक द्वारा, तीस दिनों के अन्दर, विभागीय सचिव के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

11.5 यदि किसी निबंधित संवेदक के किसी एक श्रेणी में निबंधन को निलंबित किया जाता है तो उक्त संवेदक के अन्य सभी श्रेणियों का निबंधन, यदि कोई हो, को भी निलंबित समझा जाएगा।

12. निबंधित संवेदकों की वार्षिक समीक्षा

12.1 निबंधन पदाधिकारी द्वारा निबंधित संवेदकों के कार्य कलापों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाएगी।

12.2 वार्षिक समीक्षा असंतोषप्रद पाए जाने अथवा संवेदक निबंधन नियमावली के उपबंधों का पालन नहीं करने की स्थिति में किसी भी निबंधित संवेदक का निबंधन रद्द/निलंबित किया जा सकेगा ।

13. संवेदकों की गोपनीय पंजी

13.1 निबंधित संवेदकों की एक गोपनीय पंजी प्रत्येक कार्य प्रमंडल में निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–घ) में संधारित की जाएगी । यह पंजी कार्यपालक अभियन्ता जो प्रतिवेदित पदाधिकारी होंगे, की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखी जाएगी ।

13.2 प्रत्येक कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके प्रमंडलाधीन कार्यरत सभी संवेदकों के संबंध में अधीक्षण अभियंता जो समीक्षीय पदाधिकारी होंगे, के माध्यम से निबंधन पदाधिकारी को वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन 30 जून तक निश्चित रूप से समर्पित किया जाएगा।

13.3 निबंधन पदाधिकारी जो प्रतिग्रही पदाधिकारी होंगे, के स्तर पर प्रत्येक संवेदक की निबंधित समस्त श्रेणियों के लिए एक पृथक गोपनीय पंजी संधारित की जाएगी ।

13.4 निबंधन पदाधिकारी के स्तर पर समस्त कार्यपालक अभियंता से प्राप्त सभी गोपनीय प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी।

13.5 किसी संवेदक के संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनसे कारण पृच्छा की जाएगी एवं तदनुसार अग्रतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

14. एक बार किसी फर्म/कम्पनी का निबंधन हो जाने के बाद ऐसी फर्म/कंपनी की मूलभूत संरचना में परिवर्तन की स्थिति में नया निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

15. निबंधन में अंकित 'पावर ऑफ अटार्नी' में परिवर्तन की स्थिति में विभाग से आदेश प्राप्त होने पर ही निविदा में इसकी मान्यता दी जायेगी।

16. निबंधन में अंकित पता परिवर्तन होने पर इसकी सूचना निबंधन कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची